

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (टॉक)

पीठासीन अधिकारी सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस.

दिनांक: 27.10.2020

प्रार्थना पत्र संख्या : 266 / 2020

उनवान

पटवारी हैदरीपुरा

बनाम

तहसीलदार, उनियारा

## :- आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प(3)राज/8/पार्ट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के तहत गौके पर चालू रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन करने हेतु तहसीलदार, उनियारा द्वारा ग्राम पाडली पटवार मण्डल हैदरीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.76 सिवायचक बाराणी में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान नू राजस्व अधिनियम, 1956 एंव नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान नू अभिलेख नियम, 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत हैदरीपुरा, पथों गौका पटवारी हैदरीपुरा, सरपंच एंव ग्रामविकास अधिकारी ग्राम पंचायत हैदरीपुरा, गुगल नक्शों की वर्तमान प्रिन्ट एंव अभिरक्षा तहसीलदार, उनियारा प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, उनियारा से प्राप्त सम्पूर्ण पत्रपत्तियों मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया जिसके अनुसार तहसील उनियारा के ग्राम पाडली पटवार मण्डल हैदरीपुरा के खसरा नम्बर 1200 में 0.76 है0 में से 0.20 हैक्टर पर गौके पर काफी समय पुराना चालू रास्ता है किन्तु राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का तथा ग्राम विकास अधिकारी ने अपने गौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया है साथ ही तहसीलदार, उनियारा ने भी उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने की स्पष्ट अभिरक्षा की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, उनियारा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि ग्राम पाडली पटवार मण्डल हैदरीपुरा के खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.76 हैक्टर में से यथा प्रस्तावित रकबा 0.20 हैक्टर पर किसी प्रकार का विवाद न होने एंव किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर भूमि की किस्म राजस्व अभिलेखों में गे0मण्डल रास्ता दर्ज कर अमल दरामद करे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(रजनी मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उनियारा (टॉक)